

25.3.2024 वकील, वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी कांचा
 । से प के वकील उपस्थित। उभयपक्ष
 कावेवस्थाओं ने निवेदन किया कि एकल
 एन्ड निवेदन का साथ ही एक कारण
 कायम कलने की आवश्यकता नहीं रही
 होती है कायम परमाप्त बन्द की जाती
 है तत्पश्चात्, उभयपक्ष कावेवस्थाओं की
 सहमति कृति गरी कोल सहमति पर गरी
 कि। तथा परापली का गतिरिक्ता नूकन
 अन्वेषण किया गया। वकीलों कांचा कि
 एकल एन्ड निवेदन का साथ ही
 गया है कि वादीगण को शक्रेदाले शक्ति
 की सीमा तक प्रतिवादी दखलदानी नहीं
 करे तथा प्रतिवादी पक्ष की नहीं आस्ते
 है कि उतनी शक्रेदाले में प्रामाणिक/
 वादीगण दखलदानी नहीं करे।

सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा

08/2023

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

टाप्पा की उचित कानूनता है कि
पक्षधर ठर - पूले की खातेदारों
में कसबदाखी नहीं करें। यदि पक्षधर
के मध्य शिकायतों को लेकर अनावधान
विवाद लगाए हो (यदि) ऐसी तरह
में दोनों पक्षों को बाँड किया जाए
उचित जरीत होता है।

जिहाया वदीगठा का वाड व उत्रिविदि
आला 1 से 3 का काउन्सल द्वारा शांति
मय ले स्वीकार किया जाए तथा
की खसला नम्बर 673/118 व 674/118
इस प्रकार दोनों पक्ष ठर - पूले की
खातेदारी में कसबदाखी नहीं करें। (यदि
यहाँ जारी है)

आवली मकाम मुमाद हामल वाकिल
कानून हों।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा